कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद– अल्मोड़ा।

पत्रांकः सीएफओ / अ0सु0–1 / 2023 दिनांक अगस्त 01, 2023

स्वामी / प्रबन्धक
मल्लिकार्जुन स्कूल
कालिका धारचूला पिथौरागढ़
जनपद–पिथौरागढ़।

विषय :– **अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

आपके प्रार्थनापत्र ए0यू0 आई0डी0 नम्बर–60616304 दिनांक 31–07–2023 के अनुसार मल्लिकार्जुन स्कूल कालिका धारचूला पिथौरागढ, जनपद–पिथौरागढ की अग्निसुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ की निरीक्षण आख्या रिपोर्ट दिनांक अगस्त 01, 2023 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड–'0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण' के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत / अपलोड करना होगा।

अतः प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन पिथौरागढ़ की उपरोक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर मल्लिकार्जुन स्कूल कालिका धारचूला पिथौरागढ, जनपद–पिथौरागढ़ को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 01–08–2023 से दिनांक 31–07–2026 तक इस आधार पर किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जायः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. स्कूल के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि भवन के मानचित्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा

PRINCIPAL
Mallikarjun School
Dharchula (Pithoragarh)

MALLIKARJUN SCHOOL MANAGER